उत्तराखण्ड शासन
सामान्य प्रशासन विभाग
संख्या– 998 /xxxi(15)/G/21-02(रा0सू0आ0)/2015
देहरादून दिनांकः 31 दिसम्बर, 2021

अधिसूचना

सूचना का अधिकार अधिनियम, 2005 की धारा 15 की उपधारा (3) के अन्तर्गत प्राप्त शक्तियों के अधीन श्री राज्यपाल, श्री विवेक शर्मा, एडवोकेट, निवासी–5, तेग बहादुर रोड, लेन नं0–3, डालनवाला, देहरादून को राज्य सूचना आयुक्त के पद पर सहर्ष नियुक्त करते हैं।

2– यह नियुक्ति अधिनियम की धारा 15 की उपधारा (6) के अधीन श्री विवेक शर्मा द्वारा कार्यभार ग्रहण करने की तिथि से प्रभावी होगी।

3– यह नियुक्ति उपरोक्त अधिनियम की धारा 16 की उपधारा (1) एवं कार्मिक, लोक शिकायत और पेंशन मंत्रालय, भारत सरकार की यथा संशोधित अधिसूचना संख्या– 635, दिनांक 24 अक्टूबर, 2019 के अनुरूप श्री विवेक शर्मा द्वारा कार्यभार ग्रहण करने की तिथि से 03 वर्ष की अवधि के लिए या पैंसठ वर्ष की आयु प्राप्त करने तक, इनमें से जो भी पहले हो, के लिए होगी।

4– राज्य सूचना आयुक्त को संदेय वेतन और भत्ते एवं सेवा के अन्य निर्बन्धन और शर्तें कार्मिक, लोक शिकायत और पेंशन मंत्रालय, भारत सरकार की यथा संशोधित अधिसूचना दिनांक 24 अक्टूबर, 2019 के अधीन होंगी।

राज्यपाल की आज्ञा से,

(विनोद कुमार सुमन)
सचिव (प्रभारी)

संख्या–998 /xxxi(15)/G/21-02(रा0मु0सू0आ0)/2015 तद्दिनांक।
प्रतिलिपि निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषितः–

1. सचिव, श्री राज्यपाल, उत्तराखण्ड।
2. सचिव, मा0 मुख्यमंत्री, उत्तराखण्ड शासन।
3. सचिव, कार्मिक एवं प्रशिक्षण विभाग, भारत सरकार, नई दिल्ली।
4. समस्त अपर मुख्य सचिव/प्रमुख सचिव/सचिव/सचिव (प्रभारी), उत्तराखण्ड शासन।
5. सचिव, विधान सभा, विधान सभा भवन, देहरादून।
6. महानिबन्धक, मा0 उच्च न्यायालय,उत्तराखण्ड नैनीताल।
7. महालेखाकार, लेखा एवं हकदारी, उत्तराखण्ड।
8. आयुक्त, गढ़वाल एवं कुमाऊँ मण्डल।
9. समस्त जिलाधिकारी, उत्तराखण्ड।
10. महानिदेशक, सूचना एवं लोक सम्पर्क निदेशालय, देहरादून।
11. श्री विवेक शर्मा, एडवोकेट, निवासी–5, तेग बहादुर रोड, लेन नं0–3, डालनवाला, देहरादून।
12. निजी सचिव, मुख्य सचिव, उत्तराखण्ड शासन।
13. सचिव, उत्तराखण्ड सूचना आयोग, लाडपुर रिंग रोड, देहरादून।
14. अपर निदेशक, राजकीय मुद्रणालय, रूडकी को इस अनुरोध के साथ प्रेषित कि कृपया इस अधिसूचना को राजकीय गजट असाधारण के विधायी परिशिष्ट भाग–4, खण्ड–ख में आगामी तिथि में प्रकाशित कर 200 प्रतियां शासन को उपलब्ध कराने का कष्ट करें।
15. सचिवालय के समस्त अनुभाग।
16. निदेशक, राष्ट्रीय सूचना केन्द्र सचिवालय परिसर।
17. गार्ड फाईल।

31/12/21
(विनोद कुमार सुमन)